न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या -34/2022-23

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)a

सीताराम मुण्डा वगैरह बनाम राधी देवी

21.01.23

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेतागण का नाम एवं पता –	1.सीताराम मुण्डा पिता–योद्धा मुण्डा, 2.संदीप मुण्डा पिता–बुधनलाल मुण्डा, 3.लक्षमण मुण्डा पिता–मनसा मुण्डा, 3.तारा देवी पति–पिताम्बर मुण्डा, सभी ग्राम–नुरीडीह, पो०–आमलेशा, थाना–तमाड़, जिला–राँची, जाति–पातर (मुण्डा) पेशा–खेतीवारी।
क्रेता का नाम एवं पता –	राधी देवी पति–मतलु उराँव पिता–एतवा उराँव, ग्राम–नुरीडीह, पो०–आमलेशा, थाना–तमाड़ जिला–राँची, जाति–उराँव, पेशा–खेतीबारी।
विद्वान अधिवक्ता का नाम –	श्री आनन्द राम महतो।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक–07/07/2022 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा–46(i)a के तहत क्रेता राधी देवी पति–मतलु उराँव पिता–एतवा उराँव, ग्राम–नुरीडीह, पो०–आमलेशा, थाना–तमाड़ जिला–राँची, जाति–उराँव, पेशा–खेतीबारी, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति माँगी हैं:–

भुमि की विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
नुरीडीह	तमाड़/228	13	260	34½ डी० चौहद्दी:– उ०–रास्ता। द०–चन्द्र गोवाला। पू०–विक्रेता नीज। प०–लक्ष्ु अहीर।

उक्त आवेदन के आलोक में अचंल अधिकारी, तमाड़ से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, तमाड़ का पत्रांक–482(ii) दिनांक–28/10/2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो कि निम्नवत है।

(1) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत गुलाब पातर वल्द गहन पातर के नाम से दर्ज है।
(2) विक्रेतागण खतियानी रैयत/पंजी–II रैयत के पुत्र, पोता एवं पुत्रवधु है।
(3) पंजी–II के अनुसार रैयत का नाम गुलाब पातर पिता–गहन पातर है।
(4) प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2013–14 तक वसूली गयी है।
(5) विक्रेतागण स्वयं जमाबंदी रैयत है।
(6) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन रैयती, दोन तीन किस्म की है।
(7) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेतागण के पास पर्याप्त भूमि शेष बचता है।
(8) विक्रेतागण प्रस्तावित जमीन को आवश्यक कार्य हेतु बिक्री कर रहे है।
(9) विक्रेतागण एवं क्रेता दोनो एक ही थाना पुलिस के निवासी है।

(10) विक्रेतागण एवं क्रेता दोनो अनुसूचित जनजाति समुदाय अन्तर्गत आते है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, तमाड़ ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)a के तहत विक्रेतागण 1.सीताराम मुण्डा पिता–योद्धा मुण्डा, 2.संदीप मुण्डा पिता–बुधनलाल मुण्डा, 3.लक्षमण मुण्डा पिता–मनसा मुण्डा, 3.तारा देवी पति–पिताम्बर मुण्डा, सभी ग्राम–नुरीडीह, पो०–आमलेशा, थाना–तमाड़, जिला–राँची, जाति–पातर (मुण्डा) पेशा–खेतीवारी, को क्रेता राधी देवी पति–मतलु उराँव पिता–एतवा उराँव, ग्राम–नुरीडीह, पो०–आमलेशा, थाना–तमाड़ जिला–राँची, जाति–उराँव, पेशा–खेतीबारी, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

इस न्यायालय के द्वारा दिनांक–09/07/2022 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन संबंधित अंचल कार्यालय से प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नही की है।

अतः अंचल अधिकारी, तमाड़ के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेतागण 1.सीताराम मुण्डा पिता–योद्धा मुण्डा, 2.संदीप मुण्डा पिता–बुधनलाल मुण्डा, 3.लक्षमण मुण्डा पिता–मनसा मुण्डा, 3.तारा देवी पति–पिताम्बर मुण्डा, सभी ग्राम–नुरीडीह, पो०–आमलेशा, थाना–तमाड़, जिला–राँची, जाति–पातर (मुण्डा) पेशा–खेतीवारी, को क्रेता राधी देवी पति–मतलु उराँव पिता–एतवा उराँव, ग्राम–नुरीडीह, पो०–आमलेशा, थाना–तमाड़ जिला–राँची, जाति–उराँव, पेशा–खेतीबारी, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 धारा–46(i)a के तहत दी जाती है। तथा अवर निबंधक, बुण्डू/जिला अवर निबंधक, राँची को आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नही करेंगें।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
नुरीडीह	तमाड़/228	13	260	34½ डी० चौहद्दीः– उ०–रास्ता। द०–चन्द्र गोवाला। पू०–विक्रेता नीज। प०–लक्ष्मु अहीर।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता।
बुण्डू (राँची)।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता।
बुण्डू (राँची)।

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2023.02.13 16:57:23 +05:30
Location: 10.93.79.19